

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

FIFTY
RUPEES

रु. 50

Rs. 50



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

AF 411193

सेटलर एग्रीडकारी भावना में उपरोक्त प्रकार के एक सर्वजनिक उपयोगी न्याय बनाने में उपयुक्त है।
मार्गदर्शन इस न्याय को प्रथम व्यासोक्त काल के व्यवहार में लेने के लिए है।

यह न्याय के मुद्रांक में उपरोक्त 11,000 = एक (चारसठ हजार) रुपया की दरमिती परने की इस न्याय के निष्पादन के पूर्व ही व्यासोक्त की स्थिति में प्रेष एवं हस्तगत करा जाया गया है।

2. न्याय का नाम - "मी फूला देवी शैक्षिक एवं बर्तक ट्रस्ट" रहेगा। जो प्रथम आचार्य नहीं जायेगा।

ट्रस्टी का तात्पर्य बर्तक ट्रस्टी व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समस्त समय पर समित ट्रस्टीज से होगा एवं किसी ट्रस्टी के मृत्यु पर यदि ट्रस्टी सेवान्ता की जाती है तो उनका स्थान पुत्र और यदि कोई पुरुष सेवान्ता नहीं है तो उसकी स्त्री पुत्री पुत्र या पुत्री तथा उनके सेवान्ता के शीर्षक में होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित रूप में सेटलर की शक्ति के अन्य ट्रस्टी की ज्येष्ठ सेवान्ता ट्रस्टी समित से सकता है। उक्त नियम सभी लागू होगा जो सेटलर द्वारा कोई समित ट्रस्टी नहीं होगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा कोई अन्य व्यक्ति एवं वह पुरुष दो अथवा महिला व, यदि किसी एक पुरुष व स्त्रीका को हो। उपरोक्तका पढ़ने पर समित कला जायेगा।

वैदेशिक ट्रस्टी वह व्यक्ति होगा जो सेटलर की शक्ति से ही हो जिसे कानूनन वैदेशिक ट्रस्टी द्वारा अपने कार्यकाल में बचिब्य के लिए समित किया गया हो।

3. कमेटी/कमेटीज - बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सर्वजनिक न्याय को चलाने के लिये विभिन्न कमेटीज का गठन किया जायेगा परन्तु एक कमेटी का उद्देश्य बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी की होगा और

उक्त न्याय का वेद ही परेन बचिब्य रहेगा। यहाँ पर भी स्पष्ट किया जाता है कि परेन समित को अधिकतर कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल मात्र दो वर्ष होगा परन्तु वैदेशिक ट्रस्टी द्वारा यह कार्यकाल जहाँ भी बढ़ाया जा सकता है और इस विषय में वैदेशिक ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व बंधनकारी होगा।

Handwritten signature



Handwritten signature



भारतीय नैऋत्यिक

पचास
रुपये

FIFTY
RUPEES

रु. 50

Rs. 50



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

AF 411196

- 3. सचिव:- मीमांसा का सचिव, जो कि इस के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो
- 4. कोषाध्यक्ष:- कोषाध्यक्ष का कार्य इस के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो
- अन्य पदाधिकारी:- इनका कार्यभार इस के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

द्वितीय पक्ष न्याय पद विनियमिका का सार

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो

उत्तर प्रदेश न्याय के विनियमिका के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त हो



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON-JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 411349

1. निम्न क्षेत्रों को स्थान विधिकोष, विधिकोष, निम्न क्षेत्रों में सहायक
 2. कृषि, स्वास्थ्य, वनोद्धार के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक शिक्षण के व्यवस्थापन एवं प्रशासन
 संस्थानों की स्थापना कर संबंधित अर्थ

विधिकोष सहायता-

निम्न एवं उच्च न्यायिक क्षेत्रों में विधिकोष सहायता देने संबंधित कार्य
 1. खैरती विधिकोषालयों, कौशल क्षेत्र तथा वैधानिकोषों, औद्योगिक क्षेत्रों के अर्थ
 निर्माण एवं प्रशासनिक कार्यों को पूर्णतः निःशुल्क अथवा अर्ध शुल्क या विधिकोष सहायता देने
 निर्देश एवं प्रशासनिक कार्यों को निम्न एवं द्वितीयक शिक्षण विधिकोषालयों के सहायता देने एवं अन्य विधिकोष
 संस्थानों से भरी होने पर सहायता देने
 2. जिनमें भी विधिकोषालय को या विधिकोषालय संस्थानों में आवश्यक समझे एवं वेद प्रति की सहायता
 देना।
 3. औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में विधिकोष सहायता या विधिकोषालयों सहायताओं को
 प्रदान करना या बन देना।

1. ऐसे सभी कार्यों को करना जिसमें निर्देशों की विधिकोष होती है।
 2. ग्राम व स्थान स्तर पर हरिद्वार एवं तमसो संस्था, विद्योत्तरी संस्थान, वैधानिकोषों के सहायता
 प्रदान तथा इस कार्य हेतु सहायता
 3. निःशुल्क क्षेत्र विधिकोष सहायता जिनमें एकमात्र आवश्यक शिक्षण विधिकोष संस्थान निर्देश प्रदान
 का प्रावधान करना।

सामान्य उद्देश्य:-

1. सहायता एवं उच्च न्याय क्षेत्रों के लोगों को विकास एवं उत्थान तथा इनके स्वतंत्र जीवन एवं व्यवसाय हेतु
 सहायता करना।
 2. राष्ट्र, प्रजा तथा प्राथमिक आस्था तथा अन्य विधिकोषों में प्रवेश लोगों को प्राप्त प्रदान।

5
10
20
30
40
50



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

FIFTY
RUPEES

रु.50

Rs.50



INDIA NON JUDICIAL

AF 411352

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



यह न्यास का प्रमाण है। इस न्यास को किसी भी न्यायाधीश या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

आगे न्यास की शर्तों/शर्तों को उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करने के
 उद्देश्य से न्यास को सेक्टर से अनुसूचित प्राप्त करने के लक्ष्य के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे।
 अर्थात्, न्यास उपरोक्त, धन की सम्पत्ति तथा सभी प्रकार की धन व अर्थ सम्पत्ति की विना किसी भी
 किसी विशेष नियम व शर्तों के न्यास के साथ एवं उद्देश्यों के विरुद्ध न ही की जायेगा, कुछ विवाद
 करना या स्वीकार करना।
 न्यास से सम्बन्धित या उसके निषेध की किसी सम्पत्ति एवं सम्पत्तियों को बेचने देना, अर्थात् प्रदान
 करना, धारण करना, कर्तव्य करना, देना, अर्थात् या अर्थात्/विवादादि कर देना या अन्य प्रकार
 से हस्तान्तरण करना।
 तथा साथ ही न्यास के अन्तर्गत न्यास के किसी उद्देश्यों हेतु सेक्टर/सेक्टर के
 सेक्टर/सेक्टर के विना न्यास के अन्तर्गत न्यास के अन्तर्गत/विवादादि धूम व कारनामों का करना
 करने/किये करके या कारवाही/किये करके या इन सबके बिना अन्य दुर्भट्टा करना या करना/किया तथा
 न्यास/न्यासों को विवाद का अधिकार या अन्य अधिकार देना होगा कि उचित ही तथा इस प्रकार कि
 सेक्टर/सेक्टर को क्षति/देना या उन्हें सुखाना।
 न्यास के किसी धन को विना न्यास के किसी उद्देश्यों हेतु न्यास/विवाद/विवाद न ही न्यास के
 सम्बन्ध में प्रदान/तुर्को से निषेधित करना तथा बात करना तथा कि समय-समय पर न्यास/विवाद
 न्यास है।

2/11/2020

11

2/11/2020

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AF 411353

(2)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास की निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे -
 1. विद्यालयों, कलेजों तथा गैरे संस्थानों को वित्तीय बच्चों को सहायता देने से उनके विद्यार्थियों को
 आना देना निःशुल्क पुस्तकें देना पुस्तकें देना आर्थिक सहायता देना तथा आर्थिक सहायता से सहाय
 में रहने वाले संस्थानों को उद्देश्यपूर्ण प्रकार की सहायता देना।
 2. न्यास कोषों या उसके किसी भाग या भाग बनाने से या उसमें न्यायिक प्रयोजनों में प्रयोग में
 होने वाले धर्मों को देना जिसमें सहायता देने की शक्ति तथा कर्मचारियों का वेतन इत्यादि को
 का सुधारण तथा तकनीकी प्रयोजनों में सुधारण करना जो वैश्विक विदेशों एवं सहायता देने से
 शिक्षकों वेतनों को भी तथा अन्य को सहायता देने तथा आर्थिक सहायता से अन्य प्रकार के
 निरन्तरिता में सहायता देना।
 3. उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य हेतु उसे तथा जो वह स्वतंत्रता प्राप्त करके तथा तथा करके तथा
 कि आवश्यक हो।
 4. न्यास के उद्देश्य की तकनीकी हेतु वित्त सहायता तथा सहायता देने, विद्यार्थी व विद्यार्थी को
 तथा सहायता प्रयोजित करवाना तथा प्रयोजनीय करवाना।
 5. ऐसे सभी विधिक बालों या कानून संबंधी सहायता के लिए उद्देश्यपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहाय
 एवं प्रयोजित हो।
 6. ऐसे किसी न्यास समिति, संस्थान या संस्था के साथ संबंधित हो जहां कितना भी उद्देश्यपूर्ण या प्रयोज
 उद्देश्यपूर्ण न्यास के लक्ष्य के सामर्थ्य हो।
 7. न्यास के नीचे जो उद्देश्य वाली रही है या सहायता करने से सहायता देने तथा सहायता न्यास कोष को उद्देश्य
 इस प्रकार की सार्वजनिक कल्याणकारी उद्देश्यों हेतु धर्म किये जावेगा जो कि आधुनिक अधिनियम 1961
 या अन्य कोई अधिनियम जो सार्वजनिक कल्याण के न्यासों को उद्देश्य से सम्बन्धित हो, द्वारा सहायता प्राप्त
 एवं सहायता से विधिगत धर्मों एवं सहायता देने के उद्देश्य होगा।
 8. उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य पूर्ण की रूप न्यास प्राप्त करने में सहायता देने हेतु ही न्यास के उद्देश्य से
 न्यास से सहायता प्राप्त करने तथा करके-सहायता करने का आधिकार तथा तथा कि वे ही सहायता प्राप्त करें।

2/11/65

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AF 411356

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15

1. यदि न्यास की किसी मीटिंग में उपरोक्त न्यास न्यासीगत बिना जमाना या उपस्थित नहीं है तो उस विवेक मीटिंग के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार उपस्थित न्यासीगत को होगा। इस न्यास का अधिकार तथा इस न्यास द्वारा संघटित सभी संस्थाओं को प्रबंधक समिति सेटलर न्यास होगा।
2. न्यास की यह अधिकार होगा कि यदि न्यास न्यास के अधिकार सिद्धांतों से इनके कोई भी अधिकार अतिक्रमण करती है तो संस्था प्रबंधक से न्यासीगत को उपस्थित न्यासी से विचारित करेगा।
3. न्यासीगत को प्रत्येक मीटिंग को कार्यवाही का समय उस उपस्थित हेतु रखी गई सजाय पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा और उस मीटिंग या अनुसूची मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा और जब उपर्युक्त पुस्तिका इस प्रकार से दर्ज एक सम्बन्धित हो जायेगी तब इस पर किये गये या शायदा की निर्णायक साध्य होगी।
4. न्यासीगत की न्यूनतम संख्या सेटलर मजिस्ट्रेट मात होगी। न्यासीगत को कुछ समय के लिये न्यास हेतु अतिरिक्त न्यासीगत की नियुक्ति एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु किया की वे अतिरिक्त न्यासीगत को करने का अधिकार होगा। किन्तु एक समय पर न्यासीगत की संख्या बारत से अधिक नहीं होगी। किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने पर या किसी कारणों वश किसी न्यासी के न्यास से त्याग पत्र देने की स्थिति में न्यासी न्यासीगत (सेटलर) को इस प्रकार से पूरा या न्यास पत्र देने वाले न्यासी के स्थान पर उसे न्यासीगत की नियुक्ति का अधिकार होगा।
5. धारणीय न्यास अधिनियम से सुसंगत प्रबंधकों के अधीन न्यासीगत अपने निर्वाचन विवेकानुसार इस प्रकार के नियमों एवं शर्तों जिसे वे उपयुक्त व आवश्यक मानते हैं इस लेख एवं के न्यास की सम्पत्ति या उसके किसी भाग को किसी समान या सम्बन्धित लक्ष्य वाले न्यास या संस्थान से जोड़ सकता है।

Handwritten signature

Handwritten signature



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AF 411357

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16

- 21- किसी कार्य को धरने या किये जाने की अनुमति देने या न्यास के प्रशसन में या अधिकारी (शक्ति) के करे व या न्यास के किसी क्षमता या अधिकार के सखे अज्ञात या अधिकार के सम्बन्ध में न्यासीय में धिन्तता होने पर उसको न्यासीय के बलगत हो निर्णय अन्तिम एक निर्णायक होगा। मता बरबर की स्थिति में सेटलर का निर्णय अन्तिम होगा।
- 22- समय-समय पर न्यास के लक्ष्यो उद्देश्यो प्रशसन प्रबन्धन तथा न्यास से सम्बन्धित सभी मामलो के सम्बन्ध में न्यासीय को अधिकार आधिकार सर्वोपर एकाउन्टेन्स केन्द्रपर मासोवितर एडवोकेट कार्ग एग्लान्डीन्स मैनेजर तथा आधुनिक इन्फरमिडो की नियुक्ति करने तथा उन्हें इस प्रकार का सुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्तर्गत जैसा कि न्यासीय समय-समय पर अपने निर्णायक लेखक से उपयुक्त सम्झे, भुगतान करने का अधिकार होगा।
- 23- प्रथम न्यासीय में से किसी एक से न्यास एडवोकेट प्रधिकारी या निष्ठा के समझ रख रही कार्यवाही में न्यास का प्रचिनिकित करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं।
- 24- इस न्यास से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का स्थान क्षेत्र एडवोकेट कार्ग 3000 होगा।
- 25- न्यासीय न्यास के एकाउन्ट का अडिट करवैरो तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्राविधानों का उसमें हुए संशोधनों का प्रसन करने।
- 26- न्यास के समस्त एडवोकेट से न्यास के निष्ठा से सम्बन्धित ले ली गयी है। इस न्यास विशेष से कुल रू 850/- का स्टाफ सुल्क अदा किया जा रहा है। ट्रास्ट का लेखन एवं निष्ठाएं एडवोकेट कार्ग।

सेटलर-

डी० गेहा मन्ड पाठक
निवासी 81/3 मीरामपुर, आजवापुर, एडवोकेट कार्ग, उ०प्र०

Signature

Signature

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AF 411358

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



“माँ फूला देवी शैक्षिक एवं धर्माध्य ट्रस्ट” ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगण

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जन्मदिन
1	श्री. रमेश चन्द्र पाठक	श्री. राम चन्द्र पाठक	81/3 बाराबंसी, बाराबंसी, उत्तरप्रदेश	1945
2	श्री. श्रीमती. अर्चना पाठक	श्री. श्रीमती. अर्चना पाठक	81/3 बाराबंसी, बाराबंसी, उत्तरप्रदेश	1945
3	श्रीमती. अर्चना पाठक	श्री. राम चन्द्र पाठक	81/3 बाराबंसी, बाराबंसी, उत्तरप्रदेश	1945
4	श्री. राम जी पाठक	श्री. राम चन्द्र पाठक	81/3 बाराबंसी, बाराबंसी, उत्तरप्रदेश	1945
5	श्री. श्रीमती. प्रसाद पाठक	श्री. राम चन्द्र पाठक	81/3 बाराबंसी, बाराबंसी, उत्तरप्रदेश	1945
6	श्री. श्रीमती. प्रसाद पाठक	श्री. राम चन्द्र पाठक	81/3 बाराबंसी, बाराबंसी, उत्तरप्रदेश	1945
7	श्री. श्रीमती. प्रसाद पाठक	श्री. राम चन्द्र पाठक	81/3 बाराबंसी, बाराबंसी, उत्तरप्रदेश	1945

24/11/2020

17

24/11/2020



दिनांक-18-12-2012 सुशील कुमार शिवारी

संदाह- 1 सुशील कुमार शिवारी पुत्र संतवदेव शिवारी
निवासी-विजय गाँव (नासिरपुर बरवाँ) परगना व तहसील-अकबरपुर जिला-उम्मेदकरगढ़

2 विद्यालक्ष्मी पाण्डेय
विजय बहादुर पाण्डेय पुत्र श्री श्रीराम पाण्डेय
निवासी लोकनाथपुर पोस्ट-महकवा तहसील सीटी जिला-उम्मेदकरगढ़

न्यास-पत्र तैयार कर्ता

श्री इन्द्रमणि शिवारी एडवोकेट जन्मदि. न्यायालय उम्मेदकरगढ़ 2000
सहायिका- 2010 रमेश चन्द पाण्डेय सीरानपुर अकबरपुर उम्मेदकरगढ़ 2000
साक्षात्कार- सुश्रुत कुमार श्री सुनिवेश कुमार लाल जन्मदि. 2000 अकबरपुर जिला-उम्मेदकरगढ़

उपस्थित
श्रीराम
श्री रमेश चन्द पाण्डेय
सीरान
शिवारी 81/3 सीरानपुर अकबरपुर
उम्मेदकरगढ़ जिला-उम्मेदकरगढ़



Handwritten signature or name.



N 13/14

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 416935

पूरक विलेख स्टाम्प मु0 200/-



17-5-14

कार्यालय का नाम-उप निबन्धक कार्यालय अजमेरपुर, जिला अम्बेडकरनगर

- 1- प्रस्तुत करने की तिथि-17-05-2014
- 2- निष्पादन करने की तिथि-17-05-2014

सहस्र



श्री सुधीश कुमार शिवाजी
श्री श्री सत्यभद्र शिवाजी

श्री- पवन कुमार शर्मा
श्री. श्री शत्रुघ्न शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AC 976471

(2)

- 1- परस्मृताकर्ता का नाम व पता- डा० रमेशचन्द्र पाठक पुत्र श्री राम नयन पाठक निवासी 81/3 मीरानपुर अकबरपुर, परगना व तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर
- 2- विलेख की प्रकृति वृत्त विलेख
- 3- निष्पादक का नाम व पता- डा० रमेशचन्द्र पाठक पुत्र श्री राम नयन पाठक निवासी 81/3 मीरानपुर अकबरपुर, परगना व तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर

अकबर



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

240 976467

6- दस्त का नाम व उक्त जिले व तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर
मीरानपुर अकबरपुर, परगना व तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर
में कि डा० रमेशचन्द्र पाठक पुत्र श्री राम नयन पाठक निवासी 81/3
मीरानपुर अकबरपुर परगना व तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर का है
चूंकि मिनमुक्ति/प्रणाली ने एक दस्त में फूला देवी शक्ति एवं धर्मार्थ दस्त
81/3 मीरानपुर अकबरपुर, परगना व तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर
दिनांक 18-12-2012 ई० का तारीख करके दिनांक 18-12-2012 ई० से
जिसका बही नं०-4 जिल्द नं० 23 पृष्ठों 189 से 224 क्रमांक 32 पर उप
निबन्धक कार्यालय अकबरपुर अम्बेडकरनगर से रजिस्ट्री कराया है तथा
दस्तनाम में निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाती है-

240976467

भारतीय नैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AC 976468

(4)

उक्त ट्रस्ट की एक उपसमिति होगी, जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों को मिलाकर सदस्यों की संख्या 15 होगी उक्त समिति ट्रस्ट द्वारा स्थापित श्री फुला देवी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय पाती (मशापुर) अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर द अन्न स्थापित की जाने वाली संस्थाओं का संचालन करेगी उपसमिति का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

24/11/20

भारतीय नैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AC 976469

(5)

- 2 यह कि उपसमिति के सदस्यगण प्रबन्ध समिति का गठन चुनाव द्वारा करेंगे जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा प्रबन्ध समिति में एक पद प्रबन्धक/सचिव, एक पद अध्यक्ष, एक पद उपअध्यक्ष, एक पद उपमंत्री, एक पद कोषाध्यक्ष का होगा इसके अतिरिक्त दो सदस्य होंगे कुल सात सदस्य की प्रबन्ध समिति होगी ।
- 3- यह कि उपसमिति के ट्रस्टगणों के अतिरिक्त अन्य सदस्य एवं विशेषज्ञों को सदस्य मनोनीत किया जा सकता है ।

Handwritten signature



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

25 APR 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 278013

(8)

- 4- यह कि उक्त ट्रस्टनामे के साथ यह पूरक विलेख जोड़कर माना जाय।
लेहाजा यह पूरक विलेख खूब समझ बूझकर स्वस्थ चित्त एवं मन से

[Handwritten Signature]

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AC 976472

(7)

बिना किसी जोर दबाव के लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम
आवे इति दिनांक-17-05-2014 ई0 डाफ्टकर्ता/टाइपकर्ता रातीश कुमार
श्रीवास्तव एडवोकेट अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

MMS

रातीश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट
पब्लिश नं. 1250/99
अकबरपुर- अम्बेडकर नगर

SR
17/05/14